

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।

।। अधिसूचना ।।

सं०सं०:-टी-1/स्था०(5)मु०-11/2025-998..... पटना, दिनांक-12/08/26

कार्यहित में श्री रणजीत कुमार, अपर सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

S. Nayak
12/8/26
(शंकर दयाल)

ज्ञापांक:-टी-1/स्था०(5)मु०-11/2025-998..... पटना, दिनांक-12/08/26

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/श्री रणजीत कुमार, अपर सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक प्रशिक्षण/सभी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला सहित)/आई०टी० मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Nayak
12/8/26
सरकार के संयुक्त सचिव